



महत्त्वपूर्ण / समयबद्ध

कार्यालय सचिव,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।

पत्रांक:- 34 / सचिव-प्रा0भ0 बोर्ड / 2025-26

दिनांक 11 अप्रैल, 2025

**समस्त अनुभागाध्यक्ष**

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 184वीं बैठक दिनांक 27.03.2025 में लिये गये निर्णयों का कार्यवृत्त संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित लिये गये निर्णयों का अनुपालन ससमय सुनिश्चित कराये एवं अनुपालन आख्या दिनांक 05.05.2025 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कृपया अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि कृत कार्यवाही का संक्षिप्त एवं विशिष्ट विवरण उपलब्ध कराया जाये, मात्र 'आवश्यक कार्यवाही की जा रही है' अंकित न किया जाये।

**विषयवार सम्बन्धित अधिकारी का विवरण**

क्र0	अधिकारी का नाम	सम्बन्धित विषय
01.	वित्त नियंत्रक	3, 9, 10, 39
02.	मुख्य अभियन्ता	18, 19, 40, 41, 42, 43, 57
03.	मुख्य नगर नियोजक	22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 23, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
04.	प्रभारी अधिकारी-रेरा	13
05.	प्रभारी अधिकारी-अधिष्ठान	49, 52, 53, 54
06.	प्रभारी अधिकारी-अर्जन	45, 46, 47, 48, 55, 56
07.	प्रभारी अधिकारी-सम्पत्ति (ट्रांसपोर्ट नगर)	21
08.	प्रभारी अधिकारी-सम्पत्ति (जानकीपुरम)	17
09.	प्रभारी अधिकारी-सम्पत्ति (रेन्ट)	14, 15, 16
10.	प्रभारी अधिकारी-सम्पत्ति (का0रो0यो0)	20
11.	प्रभारी अधिकारी-सम्पत्ति (फलैट)	4, 5, 6, 7, 8
12.	प्रभारी अधिकारी-व्यवसायिक	44
13.	प्रभारी अधिकारी-सम्पत्ति (PMAY)	11, 12
14.	अधिशासी अभियन्ता (वि0 / यां0)	51
15.	उद्यान अधिकारी	50

संलग्नक : यथोपरि।

(विवेक श्रीवास्तव)  
सचिव

प्रतिलिपि:-

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. अपर सचिव (टी/जी) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(विवेक श्रीवास्तव)  
सचिव



# लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 184वीं बैठक दिनांक

27 मार्च, 2025 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 184वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष डॉ० रोशन जैकब, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित सदस्य/अधिकारी उपस्थित हुए:-

## उपस्थिति:-

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 01. श्री प्रथमेश कुमार    | उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।   |
| 02. श्री राकेश कुमार सिंह | अपर जिलाधिकारी (वि/रा), प्रतिनिधि-जिलाधिकारी, लखनऊ।                                  |
| 03. श्री विवेक कुमार सिंह | अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, प्रतिनिधि-अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उ०प्र० शासन।   |
| 04. श्री दीप कुमार गौतम   | अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि-आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।                |
| 05. श्रीमती कंचन सुबोध    | संयुक्त आयुक्त-उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।   |
| 06. श्री अतुल मिश्रा      | अधिशाली अभियन्ता, प्रतिनिधि-नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।                              |
| 07. श्री महेश कुमार गौतम  | अधिशाली अभियन्ता, जल निगम प्रतिनिधि-प्रबन्ध निदेशक (नगरीय), उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।    |
| 08. श्री हितेश कुमार      | नगर नियोजक, प्रतिनिधि-मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग। |
| 09. डॉ० कल्याण सिंह       | उपनिदेशक-पर्यटन, प्रतिनिधि-महानिदेशक, पर्यटन, लखनऊ।                                  |
| 10. श्री पुष्कर शुक्ला    | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।   |
| 11. श्री पी०एन० सिंह      | सदस्य, लखनऊ विकास प्राधिकरण।   |

## अन्य उपस्थिति:-

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 12. श्री विवेक श्रीवास्तव       | सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।                      |
| 13. श्री सी०पी० त्रिपाठी        | अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।                  |
| 14. श्री ज्ञानेन्द्र वर्मा      | अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।                  |
| 15. श्री एस०पी० सिंह            | संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।              |
| 16. श्री दीपक सिंह              | वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।            |
| 17. श्री के०के० गौतम            | मुख्य नगर नियोजक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।          |
| 18. श्री सोम कमल सीताराम        | संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।              |
| 19. श्रीमती वन्दना पाण्डेय      | विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।        |
| 20. श्री मनोज सागर              | अधिशाली अभियन्ता, (वि/याँ) लखनऊ विकास प्राधिकरण। |
| 21. श्री संजीव कुमार            | अधिशाली अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।          |
| 22. श्री देवांश त्रिवेदी        | विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।        |
| 23. श्री रवि नन्दन सिंह         | विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।        |
| 24. श्री विनोद कुमार श्रीवास्तव | सहायक लेखाधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।          |

सर्वप्रथम उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया। तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

मद सं०	विषय	निर्णय
184/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 183वीं बैठक दिनांक 04.12.2024 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की 183वीं बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुयी। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
184/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 183वीं बैठक दिनांक 04.12.2024 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का बोर्ड द्वारा अवलोकित किया गया।
184/3	वित्तीय वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित व वास्तविक (24.03.2025 तक) एवं 2025-26 के प्रस्तावित आय-व्ययक का अनुमोदन।	लखनऊ विकास प्राधिकरण वित्तीय वर्ष 2024-25 के पुनरीक्षित व वास्तविक (24.03.2025 तक) एवं 2025-26 के प्रस्तावित आय-व्ययक में अनुमानित आय रू० 2023.40 करोड़ तथा अनुमानित व्यय रू० 3247.28 करोड़ का अनुमोदन विषयक प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

4

2

184/4	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक की 178वीं बैठक दिनांक 05.08.2023 के विषय संख्या-28 पर लिये गये निर्णय में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित अपार्टमेंट्स जिनका अनुरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, में प्रत्येक आवंटी से सुपर एरिया पर सितम्बर 2025 तक रूपये 1.00 प्रति वर्ग फुट (पूर्व निर्धारित) अनुरक्षण शुल्क वसूल किये जाने तथा माह अक्टूबर 2025 से रू0 1.50 प्रति वर्ग फुट लिये जाने का प्रस्ताव जनहित में सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
184/5	लखनऊ विकास प्राधिकरण के गोमती नगर योजना में स्थिति पारिजात एवं पंचशील अपार्टमेंट के फ्लैटों के मूल्य फ्रीज किये जाने के सम्बन्ध में।	<p>प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि गोमती नगर योजना के अन्तर्गत पारिजात अपार्टमेंट में कुल 15 फ्लैट एवं पंचशील अपार्टमेंट में कुल 8 फ्लैट रिक्त है। उक्त अपार्टमेंट के फ्लैटों के मूल्य में प्रतिमाह वृद्धि की जाती है, प्रतिमाह मूल वृद्धि किये जाने के कारण अपेक्षाकृत मूल्य अत्यधिक हो गया है, जिस कारण उक्त फ्लैटों का विक्रय काफी समय से नहीं हो पा रहा है।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा "पहले आओ, पहले पाओ" योजना के अन्तर्गत कानपुर रोड योजना, शारदा नगर योजना, सीतापुर रोड योजना, कबीर नगर देवपुर पारा, ऐशबाग हाईट्स भवनों के मूल्यों की भांति गोमती नगर योजना स्थित पारिजात अपार्टमेंट एवं पंचशील अपार्टमेंट योजना में रिक्त फ्लैटों के मूल्य को 31.03.2025 से एक वर्ष (दिनांक 31.03.2025 से 30.03.2026 तक) के लिये फ्रीज किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
184/6	लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्मित फ्लैटों का "पहले आओ पहले पाओ" के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 30.03.2025 तक पंजीकरण/आवंटन कराये जाने पर विशेष छूट दिये जाने विषयक परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव का पुष्टीकरण एवं विशेष छूट को नवरात्रि एवं ईद के त्यौहार के उपलक्ष्य में दिनांक 07.04.2025 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्मित फ्लैटों का "पहले आओ पहले पाओ" के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2025 से दिनांक 30.03.2025 तक पंजीकरण/आवंटन कराये जाने पर विशेष छूट दिये जाने विषयक परिचालन के माध्यम से पारित प्रस्ताव की पुष्टि की गयी, साथ ही नवरात्रि एवं ईद के त्यौहार के उपलक्ष्य में उक्त विशेष छूट की अवधि दिनांक 31.03.2025 से 07.04.2025 तक बढ़ाये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
184/7	लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्मित फ्लैटों का "पहले आओ, पहले पाओ" के अन्तर्गत फ्लैटों की बिक्री को बढ़ाने हेतु भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में पंजीकृत (प्रशिक्षित) एजेन्टों की कमीशन के आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा फ्लैटों की बिक्री बढ़ाने हेतु भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में पंजीकृत (प्रशिक्षित) एजेन्टों की 01 वर्ष के लिये नियुक्ति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव इस शर्त के अनुमोदित किया गया कि सेल्स एजेन्टों द्वारा जो प्राधिकरण के फ्लैट विक्रीत किये जायेंगे, उन फ्लैटों के विक्रय मूल्य का (फ्री-होल्ड शुल्क छोड़कर) 1.5 से 2.5% (जी0एस0टी0 सहित) इसके साथ हर 10 फ्लैट की बिक्री के उपरान्त 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी जो की 4% से अधिक नहीं होगी। पारिश्रमिक दिये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। पेमेन्ट (मार्केटिंग फीस) का भुगतान आवंटी द्वारा किश्तों पर लिये जाने की दशा में विक्रय मूल्य का 25% अथवा 35% भुगतान करने के उपरान्त आवंटी द्वारा कब्जा अनुबन्ध निष्पादन के पश्चात अथवा पूर्ण भुगतान की स्थिति में विक्रय विलेख निष्पादित होने के उपरान्त ही सेल्स एजेन्ट को किया जायेगा।

184/8	लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्मित प्रस्तावित फ्लैटों "पहले आओ पहले पाओ" योजना के अन्तर्गत विशेष छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।	<p>लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्मित फ्लैटों का "पहले आओ, पहले पाओ" योजना के अन्तर्गत बोर्ड बैठक की स्वीकृति उपरान्त विशेष छूट के पश्चात भी 1-कानपुर रोड योजना स्थित श्रवन, मघा, अफ्लेसा, सनराइज/मृगशिरा, पूर्वा, 2-शारदानगर योजना स्थित रतनलोक, आद्रा, 3-प्रियदर्शनी योजना स्थित सोपान इन्क्लेव-2 तथा 4-जानकीपुरम योजना स्थित स्मृति अपार्टमेन्ट में रिक्त फ्लैटों का विक्रय अपेक्षा अनुसार कम हुआ है।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा उपरोक्त अपार्टमेन्टों के रिक्त फ्लैटों की बिक्री बढ़ाये जाने के दृष्टिगत रु-45 लाख से कम तक के फ्लैटों पर रु-1.5 लाख की छूट एवं रु-45 लाख से ऊपर के फ्लैटों पर रु-2 लाख की विशेष छूट दिनांक 31.03.2025 से 30.06.2025 तक प्रदान किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।</p>
184/9	प्राधिकरण की व्यवसायिक सम्पत्तियों की धनराशि एक मुश्त जमा किये जाने की स्थिति में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।	<p>सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ किये जाने एवं फण्ड्स लिक्विडिटी बढ़ाये जाने तथा अनिस्तारित व्यवसायिक सम्पत्तियों के निस्तारण के दृष्टिगत फ्लैटों में दी जाने वाली छूट की भांति व्यवसायिक सम्पत्तियों में भी कुल मूल्य के 75% धनराशि पर निम्नानुसार छूट दिये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया:-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 45 दिन में सम्पूर्ण भुगतान करने पर 6%</li> <li>➤ 60 दिन में सम्पूर्ण भुगतान करने पर 5%</li> <li>➤ 75 दिन में सम्पूर्ण भुगतान करने पर 4%</li> <li>➤ 90 दिन में सम्पूर्ण भुगतान करने पर 3%</li> </ul> <p>उपरोक्त अनुमोदन दिनांक 01.04.2025 के पश्चात विज्ञापित नीलामी के माध्यम से आवंटित सम्पत्तियों पर लागू होंगे, उपरोक्तानुसार ही नीलामी की शर्तों में भी समावेश किया जाय।</p>
184/10	ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के आवंटियों की पंजीकरण धनराशि के सत्यापन न होने पर ब्याज के साथ जमा कराये जाने के सम्बन्ध में।	<p>प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि पंजीकरण धनराशि एवं अन्य जमा धनराशियों का सत्यापन विक्रय-विलेख निष्पादन के समय किया जाता है, जो आवंटन के कई वर्षों पश्चात होता है। ऐसी स्थिति में कास्टिंग गाइड लाइन के बिन्दु संख्या-18 में निहित प्राविधान के फलस्वरूप आर्थिक दृष्टि से कमजोर तथा अल्प आय वर्ग के आवंटियों के पंजीकरण धनराशि का सत्यापन न होने के कारण चक्रवृद्धि ब्याज के साथ धनराशि कई गुना हो जाती है, जिससे ई0डब्ल्यूएस0/एल0आई0जी0 आश्रयहीन, साइट एण्ड सर्विसेज तथा इस श्रेणी के आवंटियों द्वारा धनराशि जमा कर पाना कठिन हो जाता है तथा आवंटियों द्वारा ब्याज में छूट दिये जाने का समय-समय पर अनुरोध किया जाता है।</p> <p>सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा कास्टिंग गाइड लाइन के प्रस्तर-18 को निम्नानुसार संशोधित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया:-</p> <p>"यदि किसी आवंटी की पंजीकरण धनराशि (जिसको जमा करके पंजीकरण कराया गया था) अथवा नाम परिवर्तन शुल्क की धनराशि (जिसके जमा होने पर नाम परिवर्तन किया गया था) के जमा होने की</p>

		<p>पुष्टि/सत्यापन नहीं होती है जो उक्त धनराशि जिस तिथि में जमा होनी थी उस तिथि से आर्थिक दृष्टि से कमजोर (ई0डब्लू0एस0), अल्प आय वर्ग (एल0आई0जी0) तथा 20 वर्गमीटर तक की दुकानों के आवंटियों से 16 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ जमा कराई जायेगी। अन्य श्रेणी के आवंटियों के सम्बन्ध में कारस्टिंग गाइड लाइन 2016 के प्रस्तर-18 के प्राविधान पूर्ववत् यथावत् रहेगी”।</p> <p>इसके अतिरिक्त एम0आई0जी0 भवनों के सम्बन्ध में भी परीक्षण करके गुणावगुण के आधार पर प्रस्ताव/रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिये गये।</p>
184/11	ग्राम-सेखापुर, लखनऊ की खसरा संख्या-11 व 12 सेक्टर एल0 अलीगंज योजना (निकट मामा चौराहा) प्राधिकरण की भूमि से हटाये गये झुग्गी-झोपड़ी वासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना, बसंतकुंज सेक्टर आई0 में पुर्न-विस्थापित करने के सम्बन्ध में।	ग्राम-सेखापुर, लखनऊ की खसरा संख्या-11 व 12 सेक्टर एल0 अलीगंज योजना (निकट मामा चौराहा) प्राधिकरण की भूमि से विस्थापित किये गये झुग्गी-झोपड़ीवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना बसंतकुंज सेक्टर आई0 में भवन आवंटित करने विषयक प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित किया गया। मौके पर सर्वे उपरान्त पात्र विस्थापित परिवारों को आवंटन पत्र निर्गत करने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में भवन आवंटित करने की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।
184/12	खसरा सं0-238 मोहल्ला पूरेघासीराम (राजीव गाँधी नगर), रफी अहमद किदवई मार्ग, कैन्ट लखनऊ, पर 75 वर्षों से निवास कर रहे निवासियों, नंदाखेड़ा तुलसी काम्पलेक्स लखनऊ एवं ग्राम-मुतक्कीपुर, घैला एवं अल्लूनगर डिगुरिया, आई.आई.एम. रोड, लखनऊ, पर निवास कर रहे निवासियों के विस्थापन के सम्बन्ध में।	खसरा सं0-238 मोहल्ला पूरेघासीराम (राजीव गाँधी नगर), रफी अहमद किदवई मार्ग, कैन्ट लखनऊ, पर 75 वर्षों से निवास कर रहे निवासियों, नंदाखेड़ा तुलसी काम्पलेक्स लखनऊ एवं ग्राम-मुतक्कीपुर, घैला एवं अल्लूनगर डिगुरिया, आई0आई0एम0 रोड, लखनऊ, पर निवास कर रहे निवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना, बसंतकुंज सेक्टर आई0 में भवन आवंटित करने विषयक प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित किया गया। मौके पर सर्वे उपरान्त पात्र विस्थापित परिवारों को आवंटन पत्र निर्गत करने तथा प्रधानमंत्री आवास योजना में भवन आवंटित करने की कार्यवाही हेतु प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।
184/13	मा0 रेरा एवं रेरा अपील ट्रिब्यूनल में प्राधिकरण से सम्बन्धित वादों का पारस्परिक समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि मा0 जिला उपभोक्ता फोरम/राज्य फोरम/नेशनल फोरम आदि में लम्बित वादों में भी पारस्परिक समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रयास किये जाए।
184/14	किराये की सम्पत्तियों को मूल किरायेदारों /उनके वारिसानों के उपलब्ध न होने की दशा में सम्पत्ति पर काबिज व्यक्तियों के पक्ष में किरायेदारी रेगुलाईज्ड किये जाने के सम्बन्ध में।	किराये की बहुत सी सम्पत्तियों पर मूल किरायेदार के द्वारा शिकमी किरायेदार को रखा हुआ है एवं मूल किरायेदार का पता नहीं चल पा रहा है। मूल किरायेदार के न होने से इन सम्पत्तियों का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। कुछ भवन ऐसे भी हैं जिसमें मूल किरायेदार से भिन्न किसी व्यक्ति के द्वारा निवास किया जा रहा है एवं मूल किरायेदार के नाम से किराया प्राधिकरण कोष में जमा किया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा इन लोगों से समय समय पर शासनादेश के अनुपालन में भवन खाली कराये जाने का प्रयास किया जाता रहा है, लेकिन किरायेदार/

		<p>कब्जेदार मा0 न्यायालयों में याचिका दायर कर स्थगनादेश प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में सम्पत्ति का कब्जा प्राधिकरण स्तर से प्राप्त किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है तथा प्राधिकरण में किराये की धनराशि भी जमा नहीं की जाती है। इस प्रकार किराये की सम्पत्तियों का निस्तारण शासनादेश के क्रम में नहीं हो पा रहा है एवं सम्पत्तियों की स्थिति दिनों-दिन खराब हो रही है।</p> <p>अतः सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से इन सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव निम्नानुसार अनुमोदित किया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. जिन सम्पत्तियों पर शिकमी किरायेदार या मूल किरायेदार से भिन्न व्यक्तियों का कब्जा है एवं उन्हें खाली कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है उन सम्पत्तियों का वर्तमान मूल्यांकन कराया जाए।</li> <li>2. निस्तारण से पूर्व इन सम्पत्तियों के सम्बन्ध में दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाए।</li> <li>3. यदि कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो शिकमी किरायेदार/मूल किरायेदार से भिन्न/कब्जेदार के पक्ष में सम्पत्ति के विनियमतीकरण की कार्यवाही वर्तमान आकलित मूल्य पर की जाए।</li> <li>4. यदि मूल किरायेदार से भिन्न/शिकमी किरायेदार आकलित मूल्य 45 दिनों में जमा करता है तो 06%, 60 दिनों में जमा करता है तो 05%, 75 दिनों में जमा करता है तो 04% तथा 90 दिनों में जमा करता है तो 03% की छूट प्रदान की जाय।</li> <li>5. उपरोक्तानुसार क्रय न किये जाने की स्थिति में भवन को खाली कराकर नीलामी के माध्यम विक्रीत किया जाय।</li> </ol>
184 / 15	किराये की सम्पत्तियों का लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 06 नवम्बर, 2019 में निर्धारित आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों का किराया समानुपातिक रूप से लिये जाने के सम्बन्ध में।	<p>प्राधिकरण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में निम्न स्वीकृति प्रदान की गयी:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. एक ब्लॉक में स्थित एक प्रकार के सभी भवनों का किराया समान रूप से निर्धारित किया जाय।</li> <li>2. भूतल की सम्पत्तियों पर निर्धारित किराये के अतिरिक्त 15 प्रतिशत किराया वसूल किया जाय।</li> <li>3. कार्नर की सम्पत्तियों पर 10 प्रतिशत किराया अतिरिक्त वसूल किया जाय।</li> <li>4. निर्धारित किराये में 05 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की जाय।</li> </ol>
184 / 16	किराये की सम्पत्तियों को फ्री-होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में।	<p>सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि जिन सम्पत्तियों की लीज डीड हो चुकी है, उनमें वर्तमान दर से 02 प्रतिशत तथा जिन सम्पत्तियों की लीज डीड अभी नहीं हुई है, उनमें वर्तमान दर से 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड शुल्क लेते हुये सम्पत्तियों के फ्रीहोल्ड की कार्यवाही की जाय। किराये की जो सम्पत्तियाँ ट्रस्ट की हैं उन पर यह निर्णय लागू नहीं होगा।</p>
184 / 17	लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम योजना के विभिन्न सेक्टरों में भूखण्डों के आवंटन, जमा धनराशि एवं निबन्धन आदि के सम्बन्ध में जानकीपुरम जनसेवा समिति द्वारा की जा रही मांग के सम्बन्ध में।	<p>लखनऊ विकास प्राधिकरण की जानकीपुरम योजना के विभिन्न सेक्टरों में भूखण्डों के आवंटन, जमा धनराशि एवं निबन्धन आदि के सम्बन्ध में जानकीपुरम जनसेवा समिति द्वारा की जा रही मांग के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत प्रकरण में सी0बी0आई0 द्वारा</p>

		<p>प्राधिकरण को प्रेषित पत्र, बोर्ड एजेन्डा प्रस्ताव का अंश बनाया जाए तथा उक्त पत्र में उल्लिखित सम्पत्तियों को छोड़कर अन्य सभी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में सभी औपचारिकतायें पूर्ण कराकर बोर्ड की 183वीं बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में नियमानुसार निबन्धन की कार्यवाही की जाय तथा जिन सम्पत्तियों के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में वाद दाखिल किया गया है, उन्हें वापस लेते हुए इन सम्पत्तियों का फ्रीहोल्ड/नामान्तरण आदि की कार्यवाही सम्पादित की जाय तथा पूर्व में बोर्ड के निर्णयों के अनुसार ही धनराशि जमा कराई जाय।</p>
184/18	<p>कबीर नगर देवपुर पारा आवासीय योजना के अन्तर्गत पूर्व निर्मित आश्रयहीन भवनों में रह रहे आवंटियों/अध्यासियों के सम्बन्ध में।</p>	<p>सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा कबीर नगर देवपुर पारा आवासीय योजना के अन्तर्गत जर्जर अवस्था में आश्रयहीन भवनों में रह रहे आवंटियों के समायोजन हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रश्नगत आश्रयहीन योजना के ऐसे मूल आवंटी जिनके द्वारा आवंटित भवन के सापेक्ष समस्त धनराशि जमा कराकर उनमें निवास किया जा रहा है, उनको कबीर नगर देवपुर पारा आवासीय योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन ई0डब्लू0एस0 भवनों में उनसे सहमति लेते हुए नियमानुसार समायोजन कर लिया जाये। अवशेष ऐसे आवंटी जिनके द्वारा उनको आवंटित आश्रयहीन भवन के सापेक्ष पार्ट धनराशि जमा की गयी है, उनसे सहमति लेते हुए जमा धनराशि पर दिनांक 01.04.2025 को लागू भारतीय स्टेट बैंक के एम0सी0एल0आर0 दर से नियमानुसार ब्याज देते हुए भवनों के वर्तमान मूल्य में अन्तर धनराशि जमा कराते हुए कबीर नगर देवपुर पारा आवासीय योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन ई0डब्लू0एस0 भवनों के आवंटन पर विचार किया जाय।</li> <li>2. उपरोक्त बिन्दु संख्या-1 से असहमत हों या आश्रयहीन भवनों में रह रहे हों ऐसे अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों को बटलर पैलेस एवं अन्य क्षेत्रों से विस्थापित किये गये व्यक्तियों की भांति विस्थापित श्रेणी का मानते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना में नियमानुसार आवंटन किया जाय।</li> </ol> <p>आश्रयहीन योजना के भवनों के मूल आवंटी जो पारा योजना में अन्तर की धनराशि को जमा करने पर सहमत न हों उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना अथवा प्राधिकरण के अन्य फ्लैटों में नियमानुसार समायोजित किया जाय अन्यथा की स्थिति में दिनांक 01.04.2025 को लागू भारतीय स्टेट बैंक के एम0सी0एल0आर0 दर से ब्याज के साथ धनराशि वापस की जाय।</p>
184/19	<p>कबीर नगर देवपुर पारा आवासीय योजना के अन्तर्गत अर्धनिर्मित एम.एम.आई.जी. टावर सं0-3, 4, 8 व 9 के यथास्थिति निस्तारण करने के सम्बन्ध में।</p>	<p>सम्यक् विचारोपरान्त कबीर नगर देवपुर पारा आवासीय योजना के अन्तर्गत अर्धनिर्मित एम0एम0आई0जी0 टावर-3, 4, 8 व 9 का यथास्थिति निस्तारण करने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।</p>

184/20	भवन संख्या-एस.एस.-2/1425, सेक्टर-डी-1, कानपुर रोड योजना के स्थान पर भवन संख्या-ई-24, सेक्टर-एम1, कानपुर रोड योजना का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा मा0 जिला फोरम के आदेश दिनांक 24.04.2023 के अनुपालन में श्री सुरेश कुमार द्वारा सहमति उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त पूर्व में आवंटित भवन संख्या-एस0एस0-II/1425, सेक्टर-डी-1, कानपुर रोड योजना (मानक क्षेत्रफल 36.75 वर्गमीटर) के स्थान पर वर्तमान में आवंटन से रिक्त भवन संख्या-ई-100, सेक्टर-एम, कानपुर रोड योजना (मानक क्षेत्रफल 30.00 वर्गमीटर) को वर्तमान में मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में आवंटन किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
184/21	ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थित भूखण्डों का लीज से फ्रीहोल्ड किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त ट्रांसपोर्ट नगर योजना में स्थित भूखण्डों का लीज से फ्रीहोल्ड किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव निम्नांकित शर्तों के अधीन अनुमोदित किया गया:- 1- ट्रांसपोर्ट नगर के जिन आवंटियों द्वारा आवंटन दर के अनुसार सम्पूर्ण धनराशि जमा कर दी गयी हो तथा लीजरेन्ट भी अद्यतन जमा हो ऐसे आवंटियों के पक्ष में फ्री-होल्ड की कार्यवाही निष्पादित की जाये। 2- ऐसे आवंटी जिनके विरुद्ध मूल्य/लीजरेंट/अनिर्माण शुल्क (लेवी)/अन्य कोई बकाया हो उसे अद्यतन 13 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित जमा कराकर फ्री-होल्ड की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। 3- जिन आवंटियों के समस्त अभिलेख वैध हैं तथा मौके पर आवंटन पत्र में निर्धारित उपयोग से इतर उपयोग/निर्माण किया गया है उन आवंटियों से निर्धारित भू-उपयोग के विरुद्ध जिस भू-उपयोग में उपयोग किया जा रहा है ऐसे मामलों में आवंटन के समय प्रचलित सम्बन्धित भू-उपयोग की दरों की अंतर धनराशि अद्यतन 13% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित जमा कराये जाने के पश्चात ही नियमानुसार फ्री-होल्ड किये जाने पर विचार किया जाय। अन्यथा निर्धारित भू-उपयोग के विरुद्ध प्रयोजन/निर्माण कराये जाने पर उ0 प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 के सुसंगत धाराओं के अधीन कार्यवाही की जाय। 4- उपरोक्त समस्त कार्यवाही पत्रावलियों के पूर्ण परीक्षण आवंटन आदि सही पाये जाने की स्थिति में ही वैध आवंटियों के पक्ष में की जाय।
184/22	कैटिल कालोनी, बसन्त कुंज योजना, हरदोई रोड की तलपट मानचित्र के आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।	कैटिल कालोनी के ले-आउट का अनुमोदन वर्ष 2014 में प्रदान किया गया था, जिसमें भूखण्ड संख्या-459 से 464 के उत्तर दिशा में वेटनेरी हास्पिटल के लिये चिन्हित भूखण्ड क्षेत्रफल 5646 वर्गमीटर का उपयोग अभी तक नहीं हो पाया है, जिसकी वर्तमान में उपयोगिता भी नहीं है। अतः बोर्ड द्वारा प्रस्तावानुसार वेटनेरी हास्पिटल के स्थान पर वेटनेरी क्लीनिक चिन्हित करते हुए शेष भूमि पर अन्य प्रयोजन के भूखण्ड सृजित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।
184/23	सामुदायिक सुविधाओं हेतु एफ0ए0आर0 बढ़ाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा नर्सिंग होम एवं चिकित्सीय सामाजिक संस्थाओं में कार्यरत संस्थानों हेतु नियोजित भूखण्डों को भविष्य में निस्तारण हेतु अतिरिक्त एफ0ए0आर0 दिये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की



		<p>संस्तुति के आलोक में पूर्व निस्तारित भूखण्ड/सम्पत्ति हेतु क्रमांक (A) के अनुसार एवं नये प्रस्तावित भूखण्ड/सम्पत्ति हेतु क्रमांक (B) के अनुसार भूमि मूल्य आवेदक से प्राप्त करते हुए बढ़े हुए एफ0ए0आर0 को अनुमन्य किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया:-</p> <p><b>(A) पूर्व निस्तारित भूखण्ड/सम्पत्ति हेतु -</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. प्रस्तावित क्रिया हेतु उस भूखण्ड की प्राप्त उच्चतम बोली दर के आधार पर बढ़ाये जाने वाले एफ0ए0आर0 हेतु समानुपातिक रूप से आवेदक से भूमि मूल्य प्राप्त किया जाए।</li> <li>2. वर्तमान में उस योजना में प्रस्तावित क्रिया हेतु अन्य भूखण्डों में प्राप्त उच्चतम बोली दर से बढ़े हुए एफ0ए0आर0 के लिए आवेदक से समानुपातिक भूमि मूल्य प्राप्त किया जाए।</li> </ol> <p>उपरोक्त दोनों प्रस्तावों में से बढ़े हुए एफ0ए0आर0 हेतु जो अधिकतम समानुपातिक भूमि मूल्य प्राप्त हो उसके अनुरूप अधिकतम मूल्य प्राप्त कर आवेदक को बढ़ा हुआ एफ0ए0आर0 अनुमन्य किये जाने पर विचार किया जाय।</p> <p><b>(B) नये प्रस्तावित भूखण्ड/सम्पत्ति हेतु -</b></p> <p>नये प्रस्तावित किये जाने वाले भूखण्डों में वर्तमान दर पर बढ़े एफ0ए0आर0 का मूल्य सम्मिलित कर भूखण्डों की दर निर्धारित करते हुए सम्पत्तियों का निस्तारण किये जाने पर विचार किया जाय।</p>
184/24	मेसर्स रोहतास प्रोजेक्ट लि0 के भूखण्ड संख्या-टी0सी0/जी 4/4, विभूति खण्ड गोमती नगर, लखनऊ पर प्रस्तुत व्यवसायिक मानचित्र के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
184/25	बेसमेंट के अन्तर्गत शौचालय अनुमन्य किये जाने तथा मूल बेसमेंट की भांति एक्सटेन्डेड बेसमेंट में भी समान तरह का प्रयोजन (वाणिज्यिक एवं कार्यालय) अनुमन्य किये जाने हेतु प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2023) के अध्याय-3.9 में संशोधन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बेसमेंट के अन्तर्गत शौचालय अनुमन्य किये जाने तथा मूल बेसमेंट की भांति एक्सटेन्डेड बेसमेंट में भी समान तरह का प्रयोजन (वाणिज्यिक एवं कार्यालय) अनुमन्य किये जाने हेतु प्रभावी भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित-2023) के अध्याय-3.9 'भू-गेह (बेसमेंट)' के प्रस्तर-3.9.1 (IV) में नियमानुसार नया खण्ड (ज) जोड़े जाने तथा प्रस्तर-3.9.2 (VII) में किये गये संशोधनों को अंगीकृत किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
184/26	गाटा सं0-1569 ग्राम भसण्डा, तहसील मोहनलालगंज, मौरावां राज्य मार्ग लखनऊ पर प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के मानचित्र स्थल के परीक्षण हेतु लखनऊ महायोजना-2031 में प्रस्तावित विशेष अनुमति से अनुमन्य मानचित्र के सम्बन्ध में विचार।	सम्यक् विचारोपरान्त गठित समिति की संस्तुति के क्रम में गाटा संख्या-1569 ग्राम-भसण्डा, तहसील-मोहनलालगंज, मौरावां राजमार्ग, लखनऊ पर आवेदित पेट्रोल पम्प मानचित्र के सापेक्ष दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन में प्राप्त होने वाली आपत्ति/सुझाव का नियमानुसार सुनवाई करते हुए निस्तारण उपरान्त मानचित्र स्वीकृत किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
184/27	उ0प्र0 के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिये भूमि अर्जन एवं विकास नीति (इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2014) के अन्तर्गत मेसर्स अमरावती होम्स द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। यह निर्देश भी दिए गए कि साइट प्लान, ले-आउट इत्यादि को प्राधिकरण के जी0आई0एस0 पोर्टल पर सुरक्षित रखा जाय।

184/28	उ0प्र0 के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिये भूमि अर्जन एवं विकास नीति (इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2014) के अन्तर्गत मेसर्स राज इन्फ्रा हाउसिंग प्रा0लि0 द्वारा प्रस्तुत डी0पी0आर0 के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। यह निर्देश भी दिए गए कि साइट प्लान, ले-आउट इत्यादि को प्राधिकरण के जी0आई0एस0 पोर्टल पर सुरक्षित रखा जाय।
184/29	उ0प्र0 नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम संशोधन) नियमावली-2021 के प्राविधानों के क्रम में विकास शुल्क दर के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2021 उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-558/आठ-3-21-211 विविध/13 टी0सी0 दिनांक 09 फरवरी, 2021 के प्राविधानों के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु विकास शुल्क उद्ग्रहण दर रू० 2462.00 प्रति वर्गमी० किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
184/30	भारत सरकार की Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment 2024-25 की गाइड-लाइन्स में वर्णित रिफार्म्स को लागू कराये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित) के प्रस्तर-3.5.1 प्रस्तर-3.4.4 एवं प्रस्तर-1.2 में संशोधन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा भारत सरकार की Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment 2024-25 की गाइड-लाइन्स में वर्णित रिफार्म्स को लागू कराये जाने हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित) के प्रस्तर-3.5.1 प्रस्तर-3.4.4 एवं प्रस्तर-1.2 में संशोधन को अंगीकृत किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
184/31	मोहान रोड योजना से होकर गुजरने वाली प्रस्तावित 150 मी० चौड़ी आउटर रिंग रोड एवं प्रस्तावित 60.0मी० चौड़े महायोजना मार्ग की चौड़ाई को कम करते हुये उपलब्ध भूमि में निकटवर्ती भू-उपयोग प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि मुख्य नगर एवम् ग्राम नियोजन विभाग के अभिमत के अनुसार महायोजना में संशोधन के फलस्वरूप उच्चिकृत होने वाले भू-उपयोग के लिए नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क प्राप्त किया जाए तथा प्राधिकरण की योजना के सम्मुख ग्रीन बेल्ट की कमी को अपनी योजना में प्रतिपूर्ति की जाए। तदनुसार 13(2) के अन्तर्गत संशोधन का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाए एवं इसी स्वीकृति की प्रत्याशा में मोहान रोड योजना का ले-आउट संशोधित किया जाय।
184/32	प्राधिकरण द्वारा विकसित/नियोजित योजनाओं एवं स्वीकृत तलपट मानचित्र के अन्तर्गत आईलैण्ड भूखण्डों (भूखण्डों के चारो तरफ रोड) के सेट-बैक निर्धारण के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से निम्नानुसार अनुमोदित किया गया :- 1. स्वीकृत तलपट मानचित्र के अन्तर्गत आईलैण्ड भूखण्डों के सम्मुख स्थित सबसे चौड़े मार्ग पर फ्रन्ट सेटबैक छोड़ते हुये शेष तीन शेटबैक उक्त भूखण्ड हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि में दी गयी सेटबैक तालिका के अनुसार लागू होंगे। प्रवेश एवं निकास मार्ग फ्रन्ट सेटबैक में ही दिये जायेंगे। 2. आइलैण्ड श्रेणी के भूखण्डों पर यदि आवेदक द्वारा फ्रन्ट सेटबैक के अतिरिक्त अन्य किसी मार्ग पर प्रवेश एवं निकास प्रस्तावित करने पर उस मार्ग पर भी फ्रन्ट सेटबैक के समान सेटबैक छोड़ना अनिवार्य होगा।



184/33	मे0 एल्लिको हाउसिंग एण्ड इन्डस्ट्रीज लि0 व अन्य द्वारा ग्राम खुजौली व ग्राम धरमगढ़ खेड़ा, न्यू जेल रोड, मोहनलालगंज, लखनऊ का तलपट मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा खसरा संख्या-972 से 976, 978 से 981, 983 से 985 आदि ग्राम-खुजौली एवं खसरा संख्या-230, 234, 234ब, 235 आदि, ग्राम-धरमगढ़ खेड़ा, न्यू जेल रोड, गोसाईगंज -मोहनलालगंज मार्ग, लखनऊ पर कुल क्षेत्रफल-21.8545 हे0 (53.98 एकड़) भूमि पर मे0 एल्लिको हाउसिंग एण्ड इन्डस्ट्रीज लि0 व अन्य द्वारा प्रस्तुत तलपट मानचित्र की स्वीकृति विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
184/34	हिन्द नगर कालोनी, कानपुर रोड, को अनाधिकृत कालोनियों की सूची से हटाये जाने के सम्बन्ध में।	हिन्द नगर कालोनी, कानपुर रोड, को अनाधिकृत कालोनियों की सूची से हटाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव को बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से शासन को सन्दर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।
184/35	मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 द्वारा शहीद पथ सुल्तानपुर रोड पर विकसित की जा रही हाईटेक टाउनशिप के सम्बन्ध में।	<p>प्राधिकरण बोर्ड को अवगत कराया गया कि उ0प्र0 सरकार की हाईटेक टाउनशिप नीति के अधीन मेसर्स अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 को शासनादेश संख्या-2712/आठ-1-2005 दिनांक 21.05.2005 द्वारा लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर 1765 एकड़ की हाईटेक टाउनशिप का विकास किये जाने हेतु चयन किया गया था, जिसका डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डी0पी0आर0) दिनांक 22.05.2006 को स्वीकृत किया गया था। मेसर्स अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 के मूल अनुमोदित क्षेत्रफल 1765 एकड़ से बढ़ाकर 3530 एकड़ प्रथम विस्तार हेतु स्वीकृति दिनांक 03.06.2009 को प्रदान की गयी जिसकी डी0पी0आर0 दिनांक 18.05.2010 को स्वीकृत की गयी थी। मेसर्स अन्सल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 को मूल अनुमोदित+प्रथम विस्तार क्षेत्रफल 3530 एकड़ के साथ-साथ 2935 एकड़ द्वितीय विस्तार हेतु स्वीकृति दिनांक 13.12.2013 को प्रदान की गयी। इस प्रकार द्वितीय विस्तार सहित 6465 एकड़ क्षेत्रफल की डी0पी0आर0 दिनांक 23.05.2015 को स्वीकृत की गयी थी।</p> <p>मेसर्स अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रा0 लि0 द्वारा योजना को में रुचि न लिये जाने के कारण प्राधिकरण के पत्रांक 611/उपा0/मु0न0नि0/2025 दिनांक 07.03.2025 के माध्यम से उ0प्र0 शासन, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के कार्यालय पत्रांक संख्या- 3872(1)/आठ-1-07-34विविध/03 दिनांक 17 सितम्बर, 2007 के प्रस्तर -(ix) में उल्लिखित प्राविधान 'हाई-टेक टाउनशिप नीति के प्राविधानों के उल्लंघन की दशा में विकासकर्ता कम्पनियों/कन्सार्शियम के विरुद्ध कार्यवाही करना/चयन के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में निर्णय लेना' के क्रम में उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्रकरण उच्च स्तरीय समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 को पत्र प्रेषित किया गया।</p> <p>प्राधिकरण द्वारा मा0 एन.सी.एल.टी., नई दिल्ली द्वारा नियुक्त आई0आर0पी0 के समक्ष रू0 4490.00 करोड़ का क्लेम प्रस्तुत किया गया। उक्त के साथ-साथ प्राधिकरण द्वारा मा0 एन.सी.एल.टी. के आदेश के विरुद्ध</p>

✍

		<p>अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील योजित किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है।</p> <p>उपरोक्त समस्त तथ्यों से बोर्ड अवगत हुआ। बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि हाईटेक पॉलिसी के प्राविधानों के आलोक में प्रश्नगत प्रकरण की जाँच हेतु शासन स्तर से विभिन्न विभागों की समिति का गठन कराने तथा गठित समिति की जाँच आख्या उपरांत इस प्रकरण पर अग्रेतर कार्यवाही/निर्देशों हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाए।</p>
184/36	<p>लखनऊ शहर में बस अड्डे के निर्माण हेतु हरदोई रोड योजना स्थित सेक्टर-ए के तलपट मानचित्र में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।</p>	<p>लखनऊ शहर में उ०प्र० सड़क परिवहन निगम को बस अड्डे के निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के क्रम में हरदोई रोड योजना स्थित (बसंतकुंज योजना) स्थित सेक्टर-ए के तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने हेतु जन सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।</p>
184/37	<p>प्राधिकरण की नियोजित विभिन्न योजनाओं में पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, टेलीफोन एक्सचेंज, पोस्ट आफिस आदि हेतु आरक्षित भूखण्डों के तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।</p>	<p>प्राधिकृत की नियोजित विभिन्न योजनाओं में शासनादेश दिनांक 13.10.1998 के क्रम में विभिन्न योजनाओं में पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, इलेक्ट्रिक-सबस्टेशन, टेलीफोन एक्सचेंज, पोस्ट ऑफिस आदि हेतु आरक्षित भूखण्डों के तलपट मानचित्र में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।</p>
184/38	<p>लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधित कन्वर्जन) में शहीद पथ रोड से पिपराघाट के मध्य प्रस्तावित बन्धे के संरेखण के परिवर्तन के सम्बन्ध में।</p>	<p>लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधित कन्वर्जन) में शहीद पथ रोड से पिपराघाट के मध्य प्रस्तावित बन्धे के संरेखण के परिवर्तन का प्रस्ताव उ०प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम-1973 की धारा-13(2) के अन्तर्गत शासन को संदर्भित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया तथा तदनुसार मास्टर प्लान में संशोधन हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गए।</p>
184/39	<p>प्राधिकरण की जीर्ण-शीर्ण अनिस्तारित सम्पत्तियों के पुनर्विकास योजना के सम्बन्ध में।</p>	<p>प्राधिकरण की जीर्ण-शीर्ण अनिस्तारित सम्पत्तियों के पुनर्विकास योजना के सम्बन्ध में मेसर्स नागिया एण्ड कम्पनी द्वारा दिये गये सुझाव के क्रम में 15-20 वर्ष से अधिक पुरानी रिक्त/जीर्ण-शीर्ण अवस्था में उपलब्ध सम्पत्तियों के पी०पी०पी० मॉडल पर विकासकर्ता का चयन करते हुये अनिस्तारित क्षेत्र के अधिकतम अनुमन्य एफ०ए०आर० के आधार पर रि-डेवलपमेंट से सम्बन्धित प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।</p>
184/40	<p>गोमती नगर विस्तार सेक्टर-7 के अन्तर्गत पुलिस हेड क्वार्टर के निकट प्राधिकरण द्वारा ग्राम मलेशेमऊ की अर्जित भूमि पर आवासीय निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।</p>	<p>सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी तथा योजना का क्रियान्वयन बन्धों का निर्माण प्रगति पर होने अथवा शासन से संरेखण में परिवर्तन स्वीकृत होने के उपरान्त (जो भी पहले होगा) किया जायेगा। प्रश्नगत योजना से सम्बन्धित परियोजना तथा (डी.पी.आर.) ले-आउट आदि की स्वीकृति हेतु उपाध्यक्ष (लखनऊ विकास प्राधिकरण) को अधिकृत किया गया। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु पी०पी०पी० मॉडल पर भी कार्य किया जा सकेगा।</p>

184/41	कबीर नगर देवपुर पारा आवासीय योजना के संशोधित तलपट मानचित्र स्वीकृति के साथ-साथ योजनान्तर्गत निर्मित एम.आई.जी. एवं एस.एम.आई.जी. भवनों के रेरा पंजीकरण के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
184/42	रिट याचिका सं०-9344/2023 रामचन्द्र व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में दिनांक 19.10.2023 को मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में प्राधिकरण की भूमि आराजी सं०-2746 एवं भूमिधारी भूमि आराजी सं०-2758 के विनिमय एवं रास्ता उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव स्थलीय स्थिति का परीक्षण कराते हुए सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
184/43	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गयी योजनाओं में आवंटियों द्वारा भूखण्डों का कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण न कराये जाने की स्थिति में भूखण्ड का अनुरक्षण शुल्क निर्धारण करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण बोर्ड द्वारा भूखण्डों का कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त 05 वर्ष में निर्माण न कराये जाने वाले आवंटियों से अनुरक्षण शुल्क के रूप में रु० 2.5/-प्रति वर्गफिट वार्षिक की दर से लिये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। यह निर्देश दिये गये कि प्राधिकरण की ओर से होने वाली रजिस्टर्ड डीड में भी इसका अंकन किया जाय।
184/44	1090 चौराहा जियामऊ के समीप रिक्त भूमि, जिसका भू-उपयोग व्यवसायिक/आवासीय (मिश्रित भू-उपयोग) भूखण्ड को ई-ऑक्शन के माध्यम से विक्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर सर्वसम्मति से सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी एवं निर्देश दिये गये कि परीक्षण कर लिया जाय कि मा० न्यायालय में कोई वाद तो विचाराधीन नहीं है।
184/45	गोमती नदी के दायी ओर ग्राम-मलेशेमऊ स्थित प्राधिकरण की अर्जित भूमियों से सटी ग्राम-सरसवां, तहसील-सरोजनी नगर, लखनऊ की कुल क्षेत्रफल-8.1310हे० अर्थात् (क्षे.-20.0921 एकड़) भूमि को आपसी सहमति के क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
184/46	मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील-बक्शी का तालाब, लखनऊ में स्थित ग्राम-भौली, बारूमऊ, धतिगरा, गोपरामऊ, लक्ष्मीपुर, पूरबगाँव, पुरवा, सैरपुर, फरुखाबाद, कोडरी मौली, कमलाबाद, कमलापुर, सैदापुर एवं पल्हरी गाँव में आवासीय योजना विकसित करने के लिये भूमि अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
184/47	ग्राम-उजरियांव, लखनऊ की अर्जित भूमि खसरा सं०-708, 709, 2459, 2460 एवं 2461 का स्वामित्व राज्य सरकार/ल०वि०प्रा० में निहित होने के दृष्टिगत	प्रस्तुत प्रस्ताव पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा विचार-विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत स्थल के आस-पास कौन-कौन सम्पत्तियाँ अर्जन से पहले और बाद में मौके पर विद्यमान हैं, उनका उल्लेख करते

	नियमितीकरण के सम्बन्ध में।	हुये आच्छादित क्षेत्र का सर्वे करा लिया जाय। तदोपरान्त अर्जन से मुक्त किये जाने वाली भूमि के लिये प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय। प्राधिकरण की अन्य योजनाओं में भी इसी प्रकार का सर्वे कराते हुए शासन को प्रस्ताव प्रेषित किये जाने हेतु निर्णय लिये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया।																																																												
184/48	ग्राम-मखदूमपुर, लखनऊ की खसरा संख्या-242 भूमि के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में योजित विशेष अनुशंसा याचिका में पारित आदेश दिनांक 20.08.2018 के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अवलोकित किया गया एवं निर्देश दिये गये कि यदि इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन वाद में मा0 न्यायालय द्वारा कोई निर्देश दिए जाते हैं, तो प्राधिकरण द्वारा उस पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा।																																																												
184/49	प्राधिकरण में जेम पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर रखे गये सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं नवीन लिपिक, ड्राफ्टमैन, अमीन रखे जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।																																																												
184/50	लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत वृक्षारोपण एवं औद्यानिक कार्यों में संतुलन औद्यानिक कार्य प्रणाली में एकरूपता हेतु आठ नग उद्यान निरीक्षकों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त 08 उद्यान निरीक्षकों की आपूर्ति जेम पोर्टल के माध्यम से प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।																																																												
184/51	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कुशल वाहन चालक व अन्य के वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कुशल वाहन चालक व बैट्री चार्जिंग ऑपरेटर के वेतन वृद्धि के सम्बन्ध में निम्नानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया:- <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">हल्के एवं भारी वाहन चालकों का पारिश्रमिक विवरण</th> </tr> <tr> <th>क्र</th> <th>विवरण</th> <th>वर्तमान में दिये पारिश्रमिक एसओआर-2022</th> <th>प्रस्तावित पारिश्रमिक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>वाहन चालक(कुशल)</td> <td>30 x 500 = 15000.00</td> <td>30 x 507 = 15210.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ईपीएफ 13%</td> <td></td> <td>1977.30</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ईएसआईसी 3.25%</td> <td></td> <td>494.33</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">योग (अ)</td> <td style="text-align: right;">15000.00</td> <td style="text-align: right;">17681.63</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>जेम पोर्टल का लाभांश 4.5%</td> <td></td> <td>684.45</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>जीएसटी 18%</td> <td>2700.00</td> <td>3182.69</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">योग (ब)</td> <td style="text-align: right;">2700.00</td> <td style="text-align: right;">3867.14</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">कुल योग (अ + ब)</td> <td style="text-align: right;">17700.00</td> <td style="text-align: right;">21548.77</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Say</td> <td style="text-align: right;">17700.00</td> <td style="text-align: right;">21549.00</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">बैट्री चार्जिंग ऑपरेटर का पारिश्रमिक विवरण</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>बैट्री चार्जिंग ऑपरेटर</td> <td>30 x 600 = 18000.00</td> <td>30 x 507 = 15210.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ईपीएफ 13%</td> <td></td> <td>1977.30</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ईएसआईसी 3.25%</td> <td></td> <td>494.33</td> </tr> </tbody> </table>	हल्के एवं भारी वाहन चालकों का पारिश्रमिक विवरण				क्र	विवरण	वर्तमान में दिये पारिश्रमिक एसओआर-2022	प्रस्तावित पारिश्रमिक	1	वाहन चालक(कुशल)	30 x 500 = 15000.00	30 x 507 = 15210.00	2	ईपीएफ 13%		1977.30	3	ईएसआईसी 3.25%		494.33		योग (अ)	15000.00	17681.63	4	जेम पोर्टल का लाभांश 4.5%		684.45	5	जीएसटी 18%	2700.00	3182.69		योग (ब)	2700.00	3867.14		कुल योग (अ + ब)	17700.00	21548.77		Say	17700.00	21549.00	बैट्री चार्जिंग ऑपरेटर का पारिश्रमिक विवरण				1	बैट्री चार्जिंग ऑपरेटर	30 x 600 = 18000.00	30 x 507 = 15210.00	2	ईपीएफ 13%		1977.30	3	ईएसआईसी 3.25%		494.33
हल्के एवं भारी वाहन चालकों का पारिश्रमिक विवरण																																																														
क्र	विवरण	वर्तमान में दिये पारिश्रमिक एसओआर-2022	प्रस्तावित पारिश्रमिक																																																											
1	वाहन चालक(कुशल)	30 x 500 = 15000.00	30 x 507 = 15210.00																																																											
2	ईपीएफ 13%		1977.30																																																											
3	ईएसआईसी 3.25%		494.33																																																											
	योग (अ)	15000.00	17681.63																																																											
4	जेम पोर्टल का लाभांश 4.5%		684.45																																																											
5	जीएसटी 18%	2700.00	3182.69																																																											
	योग (ब)	2700.00	3867.14																																																											
	कुल योग (अ + ब)	17700.00	21548.77																																																											
	Say	17700.00	21549.00																																																											
बैट्री चार्जिंग ऑपरेटर का पारिश्रमिक विवरण																																																														
1	बैट्री चार्जिंग ऑपरेटर	30 x 600 = 18000.00	30 x 507 = 15210.00																																																											
2	ईपीएफ 13%		1977.30																																																											
3	ईएसआईसी 3.25%		494.33																																																											

		योग (अ)	18000.00	17681.63
		4	जैम पोर्टल का लाभांश 4.5%	684.45
		5	जीएसटी 18%	3240.00
			योग (ब)	3240.00
			कुल योग (अ + ब)	21240.00
			Say	21240.00
		बोर्ड द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि आवश्यकता के दृष्टिगत सुयोग्य एवं कर्मठ, ईमानदार कर्मी ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिये जाय।		
184/52	श्री मन्हैया लाल राजभर, वाहन चालक (आई.डी.-1747) द्वारा अपनी पत्नी श्रीमती सुर्मिला राजभर के दोनो घुटनों की चिकित्सा पर व्यय की गई धनराशि रू0 5,61,359.00 मात्र की प्रतिपूर्ति एवं चिकित्सा व्यय रू0 4,50,000.00 मात्र के समायोजन के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।		
184/53	श्री राजेश सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान लिपिक द्वारा सेवाकाल के दौरान स्वयं के चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।		
184/54	श्रीमती अंकिता साहू, वरिष्ठ लिपिक द्वारा स्वयं की चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।		
<b>अध्यक्ष महोदया की अनुमति से अन्य प्रस्ताव</b>				
184/55	मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील-लखनऊ में स्थित ग्राम-भलिया, आदमपुर इन्दवारा, बहरू, जलियामऊ एवं तहसील-सरोजनीनगर में स्थित ग्राम-मदारपुर एवं इब्राहिमगंज, नकटौरा, गहलवारा, तेजकृष्ण खेड़ा, रेवरी, सकरा, दोना में आवासीय योजना विकसित करने के लिए भूमि अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा शासन की चालू मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के माध्यम से Funding कराए जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जाए।		
184/56	मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत तहसील-मोहनलालगंज, लखनऊ में स्थित ग्राम-बलिया खेड़ा, मंगहुवा, शिवलर, जमालपुर कुर्मियान एवं बेली गांव में आवासीय योजना विकसित करने के लिए भूमि अर्जन तथा सहमति के आधार पर क्रय एवं लैण्ड पूलिंग से भूमि जुटाव करने के सम्बन्ध में।	बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा शासन की चालू मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के माध्यम से Funding कराए जाने हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जाए।		

✍

✍

184/57	लखनऊ विकास प्राधिकरण क्षेत्र में सुव्यवस्थित विकास हेतु नये एजुकेशनल सिटी, आवासीय, व्यवसायिक/वाणिज्य सिटी का चयन कर विकसित किये जाने की संकल्पना तैयार किये जाने हेतु प्राधिकरण स्तर से पी0एम0सी0 सेल गठन करने के सम्बन्ध में।	बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
--------	--	--

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की घोषणा की गयी।

(विवेक श्रीवास्तव)

सचिव,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।

(प्रथमेश कुमार)

उपाध्यक्ष,  
लखनऊ विकास प्राधिकरण,  
लखनऊ।

अनुमोदित

(डा0 रमेश जैकब)

अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण  
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,  
लखनऊ।